Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

सितम्बर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- दो नए ज़िलों का प्रस्ताव 3
- मध्य प्रदेश 3
- इंदौर-मनमाड रेल परियोजना 4
- सरोगेसी बीमा की सीमा बढ़ाई गई 5
- लाड़ली बहना योजना 6
- मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग 6
- वंदे मेट्रो परियोजनाएँ 7
- रीवा हवाई अड्डा 7
- MP ने पिट्ठू को पुनर्जीवित किया: स्ट्रीट स्पोर्ट 8
- साँची स्तूप से यूरोप की यात्रा 9
- साइबर तहसील 10
- पन्ना में हीरा खनन 10
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 11
- इंदौर - उज्जैन राजमार्ग 12
- रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर फटे 13
- मध्य प्रदेश में चौथा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित 14

नोट :

मध्य प्रदेश

दो नए ज़िलों का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश में नए ज़िले बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें संभवत: **सागर ज़िले से बीना और छिंदवाड़ा ज़िले से जुन्नारदेव को शामिल किया जाएगा,** जिससे **कुल ज़िलों की संख्या 57** हो जाएगी।

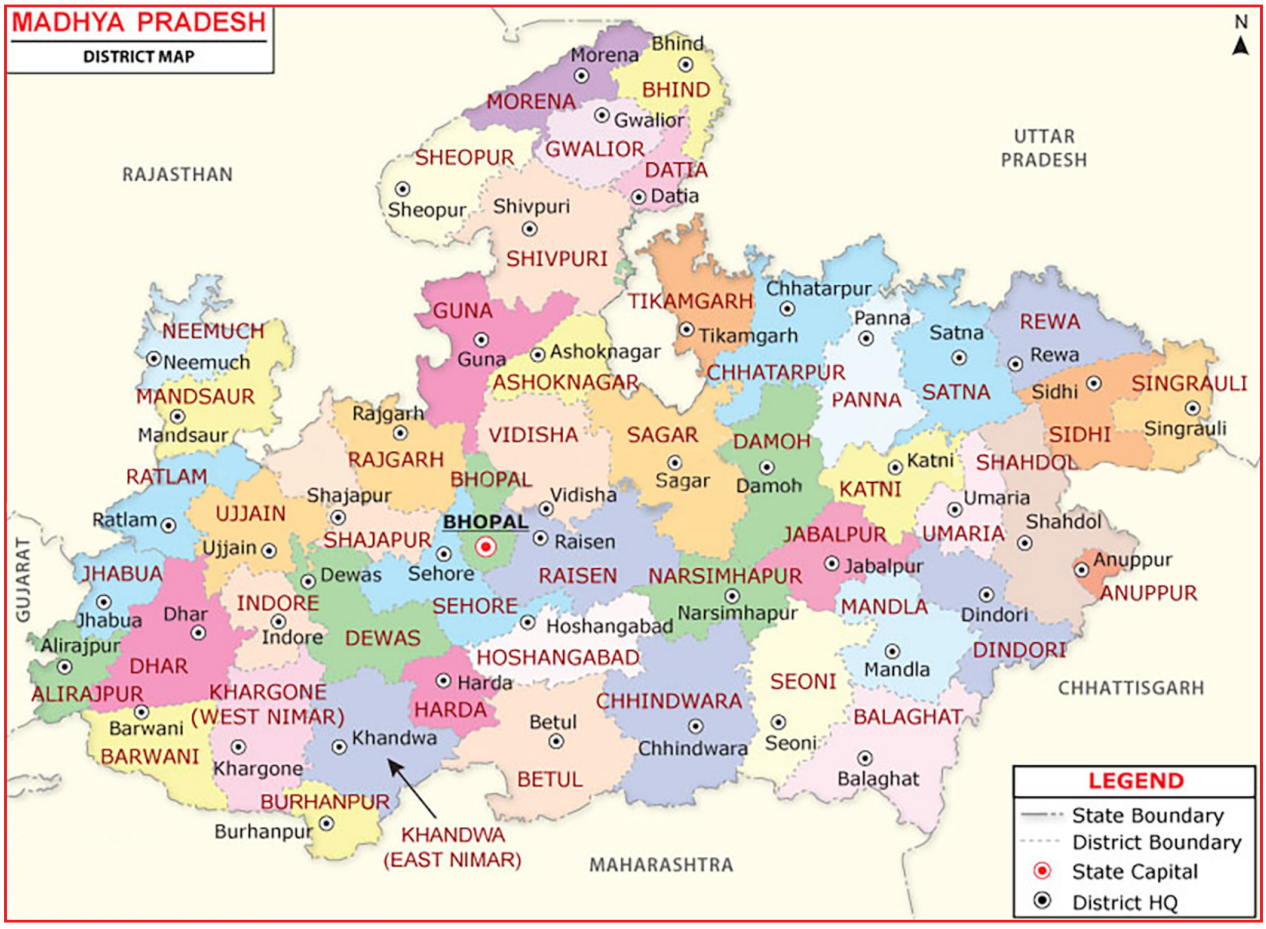

मुख्य बिंदु:

- **बीना: सागर ज़िले में मालवा के पठार** पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन और औद्योगिक शहर।
- **जुन्नारदेव:** छिंदवाड़ा ज़िले की एक तहसील जिसे ज़िला का दर्जा दिलाने के लिये प्रयास जारी हैं। अगर इसे ज़िला बनाया जाता है तो इसमें परासिया और अन्य विधानसभा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
- **हाल के ज़िला गठन:**
  - **मैहर: सितंबर 2023** में सतना ज़िले से अलग होकर **55वाँ ज़िला** बना। इसमें दो विधानसभा क्षेत्र और तीन सीमेंट कारखाने हैं।

नोट :

- **पांढुर्णा:** यह **54वाँ ज़िला** बना, जो **दलहन फसलों** के लिये प्रसिद्ध **छिंदवाड़ा ज़िले से पांढुर्णा और सौसर तहसीलों** को मिलाकर बनाया गया।
- **मऊगंज: 15 अगस्त, 2023** को **रीवा ज़िले** से अलग होकर **53वाँ ज़िला** बना, जिसमें चार तहसील और दो विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

- **छोटे ज़िले बनाने के लाभ:**
  - छोटे ज़िलों का विकास आसान होता है, जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद होता है, **सरकारी योजनाओं का तेज़ी से क्रियान्वयन** होता है तथा कानून-व्यवस्था में सुधार होता है।
  - वित्तीय स्वतंत्रता और सड़क, विद्युत् तथा जल जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच।
- **प्रस्तावित नए ज़िले:** उज्जैन से **नागदा** और गुना से **चाचौड़ा** नये ज़िले प्रस्तावित हैं, जिन पर चर्चा कमल नाथ सरकार के दौरान शुरू हुई थी।

मालवा का पठार

- यह पठार ज्वालामुखी मूल का है और इसका नाम **"मालवा" संस्कृत शब्द "मालव"** से लिया गया है, जो **धन की देवी लक्ष्मी** के निवास के हिस्से को संदर्भित करता है।
- मालवा का पठार **उत्तर-मध्य भारत** में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को कवर करता है। यह **मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य पर्वतमाला एवं गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है।**

इंदौर-मनमाड रेल परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **इंदौर-मनमाड रेलवे परियोजना** को मंज़ूरी दी गई है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेलवे विकास के लिये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

मुख्य बिंदु:

- **परियोजना का अवलोकन:** यह परियोजना **309 किलोमीटर लंबी है (जिसमें से 170.056 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 139.376 किलोमीटर महाराष्ट्र में)** तथा इसकी कुल लागत **18,036.25 करोड़ रुपए** है।
  - यह मध्य प्रदेश के इंदौर को महाराष्ट्र के मनमाड से जोड़ेगा, महत्त्वपूर्ण ज़िलों **(बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर)** को जोड़ेगा तथा क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगा।
- **आर्थिक और सामाजिक लाभ:** निर्माण के दौरान और निर्माण पूरा होने के बाद **बड़वानी तथा खरगोन जैसे अविकसित ज़िलों** में प्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न होने एवं उद्योगों के लिये रसद में वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - रेलवे लाइन से **मालवा और निमाड़ क्षेत्र** के **अनुसूचित जनजाति** समुदायों को बहुत लाभ होगा, सकारात्मक बदलाव आएगा तथा नए अवसर खुलेंगे।
- **कृषि प्रभाव: प्याज़ उत्पादक केंद्रों (नासिक, धुले और नंदुरबार)** तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिये परिवहन में सुधार।
- **धार्मिक पर्यटन:** रेल लाइन से **ज्योतिर्लिंगों** सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **परियोजना वित्तपोषण और योगदान:** मध्य प्रदेश 1,362.80 करोड़ रुपए **(राज्य के हिस्से का 10%)** का योगदान देगा, जबकि महाराष्ट्र वित्तीय रूप से योगदान नहीं देगा। शेष धनराशि **केंद्र सरकार** द्वारा प्रदान की जाएगी।
- **केंद्रीय सहायता:** केंद्र सरकार ने **प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के तहत परियोजना को समर्थन दिया है।

नोट :

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- **उद्देश्य:** अगले चार वर्षों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जिसमें ज़मीनी स्तर पर कार्यों में तेज़ी लाने, लागत कम करने तथा रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - गति शक्ति योजना **वर्ष 2019** में शुरू की गई **110 लाख करोड़ रुपए** की **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का समामेलन करेगी।**
  - लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा, इस योजना का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और बंदरगाहों पर माल ढुलाई के समय को कम करना भी है।
  - इसका लक्ष्य 11 **औद्योगिक गलियारे** और दो नए **रक्षा गलियारे** बनाना है- **एक तमिलनाडु में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश में।** सभी गाँवों तक 4G कनेक्टिविटी पहुँचाना भी इसका लक्ष्य है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
  - इससे सरकार द्वारा **वर्ष 2024-25** के लिये निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई **2 लाख किलोमीटर** तक बढ़ाना, **200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट** और **वाटर एयरोड्रोम का निर्माण शामिल है।**

सरोगेसी बीमा की सीमा बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिये सरोगेसी पॉलिसी के लिये बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार ने **सरोगेसी से गुज़रने वाली महिलाओं** के लिये **बीमा कवरेज को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए** कर दिया है।
- मध्य प्रदेश में 126 संस्थाएँ **ART (सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक, ART लेवल-1 क्लिनिक, ART लेवल-2 क्लिनिक एवं सरोगेसी) राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021** के तहत पंजीकृत हैं।
- **सरोगेसी:** यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या दंपती (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।
  - सरोगेट, जिसे कभी-कभी गर्भावधि वाहक भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या दंपती (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भधारण करती है और उनके बच्चे को जन्म देती है।
  - **परोपकारी सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवज़ा नहीं दिया जाता है।
  - **वाणिज्यिक सरोगेसी:** इसमें सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो मूल चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक मौद्रिक लाभ या पुरस्कार (नकद अथवा वस्तु के रूप में) के लिये की जाती हैं।
- केंद्र ने **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में संशोधन किया है, जिसके तहत इच्छुक दंपती के एक युग्मक के साथ सरोगेसी की अनुमति दी गई है और एकल महिलाओं को स्वयं के अंडों तथा दाता शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

- **प्रावधान:**
  - सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत, **35 से 45 वर्ष की आयु** के बीच की विधवा या तलाकशुदा महिला या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल, सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनके पास ऐसी कोई चिकित्सा स्थिति है जिसके लिये यह विकल्प आवश्यक हो।
    - इच्छुक दंपती कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष और महिला होंगे, पुरुष की **आयु 26-55 वर्ष** के बीच होगी तथा महिला की **आयु 25-50 वर्ष** के बीच होगी एवं उनका पहले कोई जैविक, दत्तक या सरोगेट बच्चा नहीं होगा।

नोट :

- यह विधेयक व्यावसायिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिये 10 वर्ष की जेल और **10 लाख रुपए** तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- कानून **केवल परोपकारी सरोगेसी** की अनुमति देता है, जहाँ पैसे का लेन-देन नहीं होता है और जहाँ सरोगेट माँ का बच्चा चाहने वाले व्यक्ति से आनुवंशिक संबंध होता है।

लाड़ली बहना योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने **लाड़ली बहना योजना** के तहत 'दूसरी सौगात' की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन**, महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के **स्वास्थ्य एवं पोषण** में निरंतर सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु 15 मार्च, 2023 को पूरे प्रदेश में **मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना** प्रारम्भ की गई।
- वर्तमान में इस योजना के तहत महिलाओं को **1250 रुपए प्रतिमाह** मिलते हैं।
- इस योजना का लाभ **21 से 60 वर्ष** की आयु की महिलाओं को मिल रहा है।
- परिवार स्तर पर **निर्णय लेने में महिलाओं** की प्रभावी भूमिका को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना का संचालन **महिला एवं बाल विकास विभाग** द्वारा किया जाता है।

मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं की पुन: जाँच करने तथा सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाने हेतु **परिसीमन आयोग का गठन किया है।**

मुख्य बिंदु

- **परिसीमन आयोग का गठन:**
  - इसका उद्देश्य सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाना तथा मौजूदा विसंगतियों को दूर करना है।
    - सागर, **उज्जैन** , इंदौर और धार जैसे ज़िलों को अपने आकार के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **परिसीमन:**
  - **इस प्रक्रिया में प्रत्येक दशकीय जनगणना** के बाद के आँकड़ों के आधार पर **अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST)** के लिये सीटों के आरक्षण सहित सीटों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करना शामिल **है।**
  - भारतीय संविधान में **प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य किया गया है** ।
  - **अनुच्छेद 82 लोकसभा के लिये सीटों के पुनर्समायोजन को** अनिवार्य बनाता है, जबकि **अनुच्छेद 170 राज्य स्तर पर इसी अभ्यास का प्रावधान करता है।** यह प्रक्रिया **केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त **परिसीमन आयोग नामक एक शक्तिशाली निकाय द्वारा की जाती है।**
  - **राज्य सरकारें प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिये ज़िलों और संभागों** की सीमाओं को समायोजित करने हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति करती हैं
    - उच्चस्तरीय आयोग का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी करता है। इसके आदेशों में कानून की ताकत होती है और भारत के किसी भी न्यायालय में **इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।**

नोट :

- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग **चार बार** स्थापित किये गए हैं - वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
  - पहला परिसीमन राष्ट्रपति द्वारा (**निर्वाचन आयोग** की सहायता से) **वर्ष 1950-51** में किया गया था।

वंदे मेट्रो परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में विकास समीक्षा बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में " **वंदे मेट्रो** " परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- **वंदे मेट्रो पहल:** 160 किमी./घंटा तक की गति तक पहुँचने में सक्षम, जो वर्तमान मेट्रो रेल की अधिकतम गति 80 किमी./घंटा से दोगुनी है।
- इसका उद्देश्य आवागमन की दक्षता बढ़ाना और यात्रा के समय को कम करना है।
- लाखों आगंतुकों की सुविधा के लिये वर्ष 2028 में **सिंहस्थ कुंभ मेले** से पहले मेट्रो नेटवर्क को उज्जैन तक विस्तारित किया जाएगा ।

सिंहस्थ कुंभ मेला

- इसका आयोजन तब किया जाता है **जब बृहस्पति, राशि चक्र के सिंह राशि में या क्षिप्रा नदी के किनारे सिंह नक्षत्र** में प्रवेश करता है।
- **महत्त्व:**
  - ऐसा माना जाता है कि **उज्जैन** में क्षिप्रा नदी दिव्य अमृत की उपस्थिति के कारण जीवन को बढ़ाती है।
  - इस घटना के उपलक्ष्य में **कुंभ मेला** आयोजित किया जाता है।
  - लाखों श्रद्धालु स्नान के लिये **क्षिप्रा नदी** के घाटों पर एकत्रित होते हैं।

रीवा हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के **रीवा** हवाई अड्डे को **नागरिक विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation DGCA)** से परिचालन लाइसेंस की मंज़ूरी मिली, जो क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- रीवा के जुड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब **छह हवाई अड्डे** हो गए हैं, अन्य भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में स्थित हैं
  - रीवा अपने **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों** के लिये जाना जाता है तथा हवाई अड्डा इन आकर्षणों को अधिक सुलभ बना देगा, जिससे संभवत: अधिक आगंतुक एवं व्यवसाय आकर्षित होंगे।
- इस हवाई अड्डे का विकास **प्रधानमंत्री** के **'विकसित भारत-विकसित मध्य प्रदेश'** के **दृष्टिकोण** के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह **विंध्य क्षेत्र** के विकास के लिये आधारशिला बने।

विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएँ

- **सिंचाई परियोजनाएँ:** ऊपरी **नर्मदा** परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना (5500 करोड़ रुपए)।
- **सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ:** पारसदोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (800 करोड़ रुपए)।

नोट :

- **रेलवे परियोजनाएँ:** वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-जाखलौन मार्ग पर तीसरी लाइन परियोजनाएँ, गेज परिवर्तन परियोजना, पवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर (2200 करोड़ रुपए)।
- **औद्योगिक परियोजनाएँ:** सीतापुर में मेगा लेदर और फुटवियर क्लस्टर, इंदौर में गारमेंट इंडस्ट्री प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर, पीथमपुर औद्योगिक पार्क का उन्नयन (1000 करोड़ रुपए)।
- **कोयला क्षेत्र की परियोजनाएँ:** जयंत OCP CHP साइलो, एनसीएल सिंगरौली; दुधिचुआ OCP CHP-साइलो (1000 करोड़ रुपए)।
- **विद्युत क्षेत्र:** पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम ज़िलों में छह सबस्टेशन।
- **जल आपूर्ति परियोजनाएँ:** विभिन्न **अमृत 2.0** परियोजनाएँ, खरगोन में जलापूर्ति वृद्धि (880 करोड़ रुपए)।
- **साइबर तहसील परियोजना:** राजस्व अभिलेखों और बिक्री-खरीद अभिलेखों के उत्परिवर्तन में डिजिटल समाधान के लिये 55 ज़िलों में शुरू की गई।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA)

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- यह **नागरिक विमानन के क्षेत्र में नियामक संस्था है** जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह **भारत के लिये/से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन** और नागरिक हवाई विनियमों, हवाई सुरक्षा एवं उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन** के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है ।

MP ने पिट्ठू को पुनर्जीवित किया: स्ट्रीट स्पोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक **वर्ष 2024-25** के लिये सभी मध्य प्रदेश कॉलेजों के खेल कैलेंडर में पिट्ठू को शामिल किया है।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य: पिट्ठू को** पुनर्जीवित करना, **जो एक पारंपरिक भारतीय खेल है, ऐसा माना जाता है कि भागवत पुराण** के अनुसार इसे **भगवान कृष्ण** ने खेला था।
- **खेल संरचना और नियम :**
  - पिट्ठू **26 मीटर x 14 मीटर के** मैदान पर **छह खिलाड़ियों की दो टीमों** (प्रत्येक टीम में चार स्थानापन्न खिलाड़ियों की अनुमति) के साथ खेला जाता है।
  - खेल दो हिस्सों में होता है, प्रत्येक **10 मिनट तक चलता है**।
  - हमलावर टीम सात रंगीन टाइलों (पिट्ठू) के ढेर को गिरा देती है और उसे पुन: जोड़ना होता है, जबकि बचाव करने वाली टीम ऐसा करने से रोकने का प्रयास करती है।
- **महत्त्व:**
  - ऐसा माना जाता है कि पिट्ठू की उत्पत्ति **दक्षिणी भारतीय उपमहाद्वीप** में हुई थी।
  - पिट्ठू का पुनरुद्धार, छात्रों को भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में पढ़ाने और उन्हें **मध्य प्रदेश की विरासत से जोड़ने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास का हिस्सा है।**

नोट :

- **जनवरी 2021 में** प्रधानमंत्री द्वारा अपने **मन की बात** भाषण में इसका उल्लेख करने के बाद इस खेल ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया ।
- पिट्ठू का प्रदर्शन **राष्ट्रीय खेलों** के दौरान किया गया था और यहाँ तक कि वर्ष 2015-16 में **लागोरी विश्व कप** में भी इसका प्रदर्शन किया गया था।

साँची स्तूप से यूरोप की यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने जर्मनी के बर्लिन में **हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय** के सामने स्थित **साँची स्तूप के पूर्वी द्वार** की **प्रतिकृति का दौरा किया।**

मुख्य बिंदु

- **साँची स्तूप का निर्माण:** इसका निर्माण **अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व** में करवाया था ।
  - इसके निर्माण की देख-रेख **अशोक की पत्नी देवी ने की थी,** जो पास के व्यापारिक शहर **विदिशा से थीं**
  - साँची परिसर के विकास को विदिशा के **व्यापारिक समुदाय के संरक्षण से समर्थन प्राप्त हुआ।**
- **विस्तार: दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व (शुंग काल)** के दौरान, स्तूप को बलुआ पत्थर की पट्टियों, एक **परिक्रमा पथ** और एक **छत्र (छाता)** के साथ एक **हर्मिका के साथ विस्तारित किया गया था।**
  - **पहली शताब्दी ईसा पूर्व** से **दूसरी शताब्दी ईस्वी तक**, चार पत्थर के प्रवेश द्वार या **तोरण बनाए गए, जो** बौद्ध प्रतिमा विज्ञान और कहानियों को दर्शाती विस्तृत नक्काशी से सुसज्जित थे।
- **साँची स्तूप की पुन: खोज: वर्ष 1818 में जब** ब्रिटिश अधिकारी **हेनरी टेलर ने इसकी खोज की** थी तब यह पूरी तरह खंडहर अवस्था में था ।
  - **अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1851** में साँची में **प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का** नेतृत्व किया
- **संरक्षण के प्रयास: वर्ष 1853** में भोपाल की सिकंदर बेगम ने **महारानी विक्टोरिया** को **साँची** के प्रवेशद्वार भेजने की पेशकश की, लेकिन **वर्ष 1857 के विद्रोह** और परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण प्रवेशद्वार हटाने की योजना में देरी हुई ।
  - वर्ष 1868 में बेगम ने फिर से प्रस्ताव दिया, लेकिन औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और **यथास्थान संरक्षण का विकल्प चुना**। इसके बजाय पूर्वी प्रवेशद्वार का **प्लास्टर कास्ट** बनाया गया।
  - इस स्थल को इसकी वर्तमान स्थिति में 1910 के दशक में **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के** महानिदेशक **जॉन मार्शल द्वारा** निकटवर्ती भोपाल की बेगमों से प्राप्त धनराशि से बहाल किया गया था।
    - **मार्शल के प्रयासों से वर्ष 1919** में उस स्थान पर कलाकृतियों को संरक्षित करने और संरक्षण का प्रबंधन करने के लिये एक संग्रहालय का निर्माण किया गया।

साँची स्तूप की वास्तुकला

- **अंडाकार:** यह धरती पर बना एक **अर्द्धगोलाकार टीला है।**
- **हर्मिका:** टीले के ऊपर **चौकोर रेलिंग है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान का निवास स्थान है।**
- **छत्र:** यह गुंबद के शीर्ष पर बनी **छतरी है।**
- **यष्टि:** यह **केंद्रीय स्तंभ है** जो छत्र नामक तिहरे छत्रनुमा संरचना को सहारा देता है।
- **रेलिंग:** यह **स्तूप के चारों ओर लगी होती है,** पवित्र क्षेत्र को सीमांकित करती है तथा पवित्र स्थान और बाहरी वातावरण के बीच एक भौतिक सीमा प्रदान करती है।
- **प्रदक्षिणापथ (परिक्रमा पथ): यह स्तूप के चारों ओर** एक पैदल मार्ग है जो भक्तों को पूजा के रूप में दक्षिणावर्त दिशा में चलने की अनुमति देता है।

नोट :

- **तोरण: तोरण** बौद्ध स्तूप वास्तुकला में एक स्मारकीय **प्रवेश द्वार या प्रवेश संरचना है।**
- **मेधी:** यह उस **आधार को संदर्भित करता है** जो एक मंच बनाता है जिस पर स्तूप की मुख्य संरचना खड़ी होती है।
- **UNESCO मान्यता:** साँची स्तूप को वर्ष 1989 में **UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।**

साइबर तहसील

चर्चा में क्यों ?

साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिये कार्यान्वित की गई एक **डिजिटल गवर्नेंस पहल** है।

प्रमुख बिंदु:

- **राज्यव्यापी विस्तार: 1 जून 2022** को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, अब इसे सभी **55 ज़िलों** में लागू किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना एवं पारदर्शिता में सुधार करना।
- **कागज़ रहित प्रणाली:** भूमि हस्तांतरण पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है, जो संपत्ति पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
- **त्वरित समाधान:** संपूर्ण प्रक्रिया **15 दिनों** के भीतर पूर्ण हो जाती है, जिससे तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।
- **स्वचालित मामला निर्माण:** पंजीकृत मामले स्वचालित रूप से **महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (Inspector General of Registration and Stamps- IGRS)** पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे मैनुअल विलंब कम हो जाता है।
- **डिजिटल डिलीवरी:** अद्यतन भूमि रिकॉर्ड सीधे **ईमेल या व्हाट्सएप** के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- **न्यायालयीन मामले में कमी: 14 लाख** पंजीकृत मामलों में से **2 लाख** मामलों का निपटारा न्यायालय में उपस्थिति के बिना किया गया, जिससे न्यायिक बोझ कम हुआ।

पंजीयन एवं मुद्रांक महानिरीक्षक

- IGRS एक प्रमुख अधिकारी होता है जो किसी राज्य में दस्तावेज़ों के **पंजीकरण** और मुद्रांकन प्रक्रिया के प्रबंधन तथा देखरेख का प्रभारी होता है।
- IGRS **विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ों** जैसे संपत्ति विलेख, विवाह प्रमाण-पत्र और अन्य **महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों के पंजीकरण का पर्यवेक्षण** करता है।
- यह **सुनिश्चित करना कि पंजीकरण प्रक्रिया** राज्य द्वारा निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन करती है।
- **मुद्रांक शुल्क के संग्रह का प्रबंधन** करता है, जो कुछ दस्तावेज़ों पर लगाया जाने वाला कर है।
- **मुद्रांक शुल्क विनियमों का अनुपालन** सुनिश्चित करना तथा उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना।

पन्ना में हीरा खनन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले** में, जोकि **हीरा खनन** के लिये प्रसिद्ध है, अपरिष्कृत **हीरों** की नीलामी की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- **पन्ना का हीरा उद्योग:**
  - पन्ना सदियों से हीरा खनन केंद्र रहा है।
  - **अत्यधिक खनन के कारण** ज़िले के हीरे के भंडार कम हो गए हैं , जिससे बड़ी खोजें दुर्लभ हो गई हैं।

नोट :

- **खनन मुख्यत:** आदिवासी आबादी के लिये वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें **250-300 रुपए** की नाममात्र की दैनिक आय प्राप्त होती है।

- **कानूनी मुद्दे:** शेष बचे अधिकांश हीरे के भंडार **संरक्षित वन क्षेत्रों** में स्थित हैं , जिससे खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। सरकार परिचालन का विस्तार करने के लिये कानूनी समाधान खोज रही है।
  - **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के** अंतर्गत विनियमों तथा **खान सुरक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Mines Safety- DGMS)** द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना ।
    - जब किसी को हीरा मिले तो स्थानीय प्राधिकारियों, जैसे **ज़िला कलेक्टर या संबंधित खनन विभाग** को हीरे के बारे में सूचित करना।
  - **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957: MMDR अधिनियम, 1957** भारत में खनिज अन्वेषण एवं निष्कर्षण को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार को खनिज संसाधनों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
  - **खनिज रियायत नियम, 1960: ये नियम** खनन पट्टे और लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं।
    - सरकारी भूमि पर या लाइसेंस प्राप्त खनन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हीरों पर **खनिज रियायत नियम, 1960** के अधीन, अधिकार सरकार या खनन पट्टाधारक के पास हो सकते हैं।
  - **अंतर:** भूमि स्वामित्व के बावजूद, खनिजों के निष्कर्षण के लिये सरकार से अलग परमिट की आवश्यकता होती है और खनिजों का स्वामित्व भूमि स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957

- **खनिज संसाधनों का विनियमन:**
  - यह अधिनियम भारत में खनिज संसाधनों के अन्वेषण, निष्कर्षण और विनियमन को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार को इन गतिविधियों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **लाइसेंसिंग और पट्टा:**
  - यह खनिज अन्वेषण और खनन के लिये लाइसेंस एवं पट्टे प्रदान करने की रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें खनन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
- **नियंत्रण और अनुपालन:**
  - अधिनियम में खनिज निष्कर्षण के लिये निर्धारित मानकों और विनियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
- **केंद्रीय सरकार प्राधिकरण:**
  - केंद्र सरकार के पास खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन से संबंधित निर्देश जारी करने तथा विनियमों को लागू करने की शक्ति है, जिसमें खनिज रॉयल्टी एवं शुल्क का संग्रह भी शामिल है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

चर्चा में क्यों ?

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में हज़ारों बच्चों को अपने माता-पिता को खोने का विनाशकारी दुख का सामना करना पड़ा।

- राज्य सरकार ने **मध्य प्रदेश के कोविड अनाथ बच्चों** के लिये **वित्तीय सहायता** और **मुफ्त शिक्षा** का वादा किया था, लेकिन इनमें से कई प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं हो पाईं, जिससे बच्चे संकट में हैं।

प्रमुख बिंदु

- मई 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जिन बच्चों ने **कोविड-19** के कारण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उन्हें **5,000 रुपए प्रतिमाह** और **मुफ्त शिक्षा** मिलेगी।

नोट :

- इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को कुछ राहत प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि बच्चे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
  - इन वादों के बावजूद, विभिन्न लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय से वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
- सरकार ने इन बच्चों के लिये दो योजनाएँ शुरू की थीं: **स्पॉन्सरशिप योजना** और **मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना**। इन योजनाओं के तहत, प्रत्येक बच्चे को **5,000 रुपये प्रतिमाह** दिये जाने का प्रावधान था।
  - हालाँकि, धनराशि का वितरण असंगत रहा है, और कई बच्चों को जनवरी 2023 से कोई धनराशि नहीं मिली है।
- बच्चों को उनके स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करने के लिये **आयुष्मान भारत कार्ड** देने का भी वादा किया गया।
  - हालाँकि, इनमें से कई कार्ड सक्रिय नहीं किये गए हैं, जिससे बच्चों को वादे के अनुसार चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई है।

इंदौर - उज्जैन राजमार्ग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में एक प्रमुख **अवसंरचना परियोजना**, **इंदौर-उज्जैन राजमार्ग** का उद्घाटन किया, जो परिवहन और बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

- **इंदौर-उज्जैन राजमार्ग फाउंडेशन:**
  - राष्ट्रपति ने इंदौर और उज्जैन के बीच छह लेन वाले राजमार्ग की आधारशिला रखी, जिसकी अनुमानित लागत 1,692 करोड़ रुपए है।
  - फरवरी 2024 में स्वीकृत इस राजमार्ग का उद्देश्य **दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय** 60 मिनट से **घटाकर 35-40 मिनट करना** है।
  - इस परियोजना को 2.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष **2028 के सिंहस्थ कुंभ से पहले यातायात की भीड़भाड़ को कम करना** है।
- **सिंहस्थ कुंभ**
  - **सिंहस्थ कुंभ मेला** एक हिंदू धार्मिक उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया जाता है
  - इस त्यौहार का नाम राशि चक्र के सिंह नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है।

महाकुंभ

- कुंभ मेला **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है।
- यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं।
- यह नासिक में **गोदावरी नदी** , उज्जैन में **शिप्रा नदी**, हरिद्वार में गंगा नदी और प्रयागराज में गंगा, यमुना व पौराणिक **सरस्वती नदी** के संगम पर होता है । इस संगम को **'संगम'** कहा जाता है।
- चूँकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण त्योहार बन जाता है।
- एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में एक विशाल तम्बूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियाँ, मंच, नागरिक सुविधाएँ, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।
- इसका आयोजन सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से वनों, पहाड़ों और गुफाओं के सुदूर स्थानों से आये धार्मिक तपस्वियों की असाधारण उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध है।

नोट :

रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर फटे

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश में **नेपानगर और खंडवा स्टेशनों** के बीच **सागफाटा** के पास पटरियों पर **10 रेलवे डेटोनेटर फटने** के बाद एक **सैन्य विशेष ट्रेन को कुछ समय के लिये रोकना पड़ा** ।

- इस घटना के बाद **रेलवे सुरक्षा बल (RPF)** द्वारा जाँच शुरू कर दी गई है, ताकि डेटोनेटर रखे जाने के पीछे का **कारण** और **संभावित उद्देश्य** पता लगाया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- रेलवे अधिकारियों द्वारा **"हानिरहित"** बताए गए डेटोनेटरों का उपयोग आमतौर पर रेल चालकों को पटरियों पर संभावित अवरोधों या खतरों के बारे में सचेत करने के लिये किया जाता है।
  - ये उपकरण **रेल इंजन** के दबाव से चालू होने पर **तेज़ आवाज़ उत्पन्न करते हैं**, जो चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करता है।
  - सैन्य रेलगाड़ी के गुज़रने के दौरान पटरियों पर उनकी अप्रत्याशित उपस्थिति से महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
  - RPF फिलहाल तोड़फोड़ या शरारत की संभावना सहित सभी कोणों से घटना की जाँच कर रही है।
  - इस घटना ने रेलवे पटरियों, विशेषकर सैन्य ट्रेनों द्वारा उपयोग की जाने वाली पटरियों पर **सुरक्षा उपायों को बढ़ाने** की आवश्यकता को उजागर किया है ।
- **डेटोनेटर:**
  - **डेटोनेटर** एक उपकरण होता है जिसका उपयोग **विस्फोटक पदार्थ** को सक्रिय करने के लिये किया जाता है, जिससे नियंत्रित विस्फोट शुरू हो जाता है।
  - **खनन, विध्वंस, सैन्य अनुप्रयोगों** और अन्य **औद्योगिक उपयोगों** में डेटोनेटर महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं जहाँ नियंत्रित विस्फोट की आवश्यकता होती है।
  - **डेटोनेटर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे:**
    - **इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर:** ये विद्युतधारा द्वारा सक्रिय होते हैं और आमतौर पर खनन तथा निर्माण में उपयोग किये जाते हैं। इनमें एक छोटा सा चार्ज होता है जो मुख्य विस्फोटक को प्रज्वलित करता है।
    - **नॉन-इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर:** इनमें विस्फोट आरंभ करने के लिये बिजली की आवश्यकता के बिना शॉक ट्यूब या फ्यूज़ जैसे अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर:** ये उन्नत उपकरण **विस्फोट का सटीक समय निर्धारित करने में सक्षम होते हैं** तथा प्राय: प्रोग्राम योग्य होते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

- RPF **केंद्रीय रेल मंत्रालय** के नियंत्रण में एक सशस्त्र बल है, जिसका कार्य रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा करना है।
- मूल रूप से वर्ष **1881 में निजी रेलवे कंपनियों** के **वॉच** एंड **वार्ड सेट-अप** का हिस्सा होने के बाद , इसे **RPF अधिनियम, 1957** के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया गया।

लोकप्रिय विस्फोटक

- **डायनामाइट: डायनामाइट** एक प्रकार का विस्फोटक होता है जो मुख्य रूप से **नाइट्रोग्लिसरीन** को मृदा जैसे शोषक पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया जाता है ।
  - यह **मिश्रण** अत्यधिक वाष्पशील **नाइट्रोग्लिसरीन** को स्थिर कर देता है, जिससे इसे संभालना और परिवहन करना सुरक्षित हो जाता है।

नोट :

- **अमोनियम नाइट्रेट:** अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें **अमोनियम आयन (NH_4) और नाइट्रेट आयन (NO_3)** होते हैं।
  - इसका उपयोग आमतौर पर कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में भी किया जा सकता है, विशेष रूप से जब इसे ईंधन स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है।
- **TNT (ट्राईनाइट्रोटोलुईन):** TNT एक कार्बनिक यौगिक है जो **टोलुईन,** एक **सुगंधित हाइड्रोकार्बन** से प्राप्त होता है।
- TNT एक **पीला, गंधहीन ठोस पदार्थ है** जो अपेक्षाकृत स्थिर है तथा आघात और घर्षण के प्रति असंवेदनशील है, जिसके कारण यह सैन्य बमों, औद्योगिक उपयोगों और जल के भीतर विस्फोट में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक के रूप में लोकप्रिय विकल्प है।
- **TNE (ट्राईनाइट्रोएथिलीनर):** TNE एक **कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक** है। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, लेकिन TNT जैसे अन्य विस्फोटकों की तुलना में यह कम सामान्य है।
- **RDX (रॉयल डिमोलिशन विस्फोटक):** RDX एक कार्बनिक यौगिक है, दिखने में यह एक सफेद पाउडर है और इसकी उच्च विस्फोटक शक्ति और स्थिरता के कारण सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - इसे साइक्लोनाइट या हेक्सोजेन के नाम से भी जाना जाता है।

मध्य प्रदेश में चौथा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित

चर्चा में क्यों ?

क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का चौथा संस्करण आज, 27 सितंबर, 2024 को मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में आयोजित किया जा रहा है।

- इस महत्त्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य **बुंदेलखंड क्षेत्र** में **निवेश आकर्षित करना** और **समान विकास को बढ़ावा देना है** ।

मुख्य बिंदु:

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव **क्षेत्रीय सत्रों में भाग लेंगे** और उद्योगपतियों के साथ **आमने-सामने चर्चा करेंगे।**
- **इस सम्मेलन में पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, MSME, स्टार्टअप** और **स्थानीय कुटीर उद्योग,** विशेष रूप से **बीड़ी उद्योग** पर केंद्रित विभिन्न क्षेत्रीय सत्र होंगे। इन सत्रों का उद्देश्य उद्योग-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना है।
- **मुख्यमंत्री** कई नई और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
  - इनमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये **प्रस्तावित भूमि आवंटन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC)** का **भूमि पूजन और** कई ज़िलों में **ज़िला निवेश प्रोत्साहन केंद्रों** का उद्घाटन शामिल है।
- **बीड़ी उद्योग** के लिये विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी, साथ ही **'एक ज़िला-एक उत्पाद' पहल** के तहत स्थानीय उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिये रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी ।
- **यह सम्मेलन 7-8 फरवरी, 2025** को भोपाल में आयोजित होने वाले **"इन्वेस्ट मध्य प्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025"** के लिये एक पूर्व-कार्यक्रम है।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)

- ODOP देश के प्रत्येक ज़िले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके ज़िला स्तर पर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देने की एक पहल है।
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक ज़िले की **स्थानीय क्षमता, संसाधनों, कौशल** और **संस्कृति का लाभ उठाना तथा घरेलू** और **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों** में उनके लिये एक विशिष्ट पहचान बनाना है।
- देश के सभी **761 ज़िलों** से **1000 से ज़्यादा उत्पादों** का चयन किया गया है। इस पहल में **कपड़ा, कृषि, प्रसंस्कृत सामान, फार्मास्यूटिकल्स** और **औद्योगिक वस्तुओं** सहित कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके अलावा, जनवरी 2023 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में **विश्व आर्थिक मंच** में भारतीय मंडप में कई ODOP उत्पाद प्रदर्शित किये गए।

नोट :